न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या— 04/2025

1. ओमप्रकाश पुत्र लाधुराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— आवेदक

बनाम

1. मैना देवी पत्नि श्री कृष्ण कुमार जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर।
3. ग्राम पंचायत जसाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अनावेदकगण

उपस्थितः— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—01

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

निर्णय दिनांकः— 30/01/2026

निगरानीकर्ता/प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र लाधुराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा अपील संख्या 41/2022 बअनवानी मैना देवी बनाम ओमप्रकाश आदि अपील में दिनांक दिनांक 09.06.2022 को पारित निर्णय के विरूद्ध निगरानी पेश की है, जिसके सक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अनावेदक सं. 1 अपीलान्ट की तरफ से मातहत अदालत में अपील सं. 41/2022 बअनवानी मैना देवी बनाम ओमप्रकाश [illegible] अपीलान्ट ने पेश कि अपीलान्ट का ग्राम जसाना की आबादी भूमि [illegible] तादादी 324 वर्गगज यानि 2916 वर्गफुट माप का है, जिसका ग्राम पंचायत [illegible] अपीलार्थी के पक्ष में एक पटटा सं. 2 बुक सं. 03 दिनांक 14.10.199[illegible] को किमतन जारी किया है। उक्त भूखण्ड का पटटा जारी होने की दिनांक से अपीलार्थी के आधिपत्य में है जिसका वह उपयोग—उपभोग करती आ रही है। प्रत्यर्थी सं. 1 काफी लालची एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:57:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है तथा उक्त पट्टे की भूमि हड़प करना चाहता है। जिसके लिए काफी बार अपीलार्थी से कहा कि उसके कोई संतान नही है। इसलिए उक्त भूखण्ड का उपयोग एवं उपभोग उसे कर लेने दे परन्तु अपीलार्थी उक्त भूखण्ड का उपयोग –उपभोग उसे नहीं करने दिया, जिससे प्रार्थी सं. 1 ने उसकी पट्टा शुदा भूमि पर कतई फर्जी, मिथ्या एवं कुटरचित दस्तावेज पट्टा अपने पक्ष में बना रखा है। जिस पर जारी होने की दिनांक 09.08.1985 दर्ज है। परतु पट्टा संख्या दर्ज नही है। जिस पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में बने पट्टा की ग्राम पंचायत जसाना से जानकारी चाही तो ग्राम पंचायत में उक्त पटटा बाबत कोई रिकार्ड उपलब्ध नही होना बताते हुए ग्राम पंचायत से ऐसा पट्टा जारी नहीं होना बताया। अपीलाधीन पट्टा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए, अपीलार्थी की पट्टे शुदा भूमि पर बना अपीलाधीन पट्टा पूर्णतया फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज है, जिसका ग्राम पंचायत या पचांयत समिति में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उक्त अपीलाधीन पट्टा अस्तित्व में बने रहने से प्रत्यर्थी सं. 1 उक्त पट्टा के आधार पर भविष्य में अपीलार्थी की पट्टा शुदा भूखण्ड पर कोई उजर कर विवाद कर सकता है। जिससे झगडा फसाद होनें की सम्भावना है। अपीलार्थी को अपीलाधीन पट्टा की जानकारी प्रथम बार प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा पंचायत समिति के समक्ष पेश अपील की सुनवाई हेतु नोटिस मिलने से हुई जिस पर अपीलार्थी ने ग्राम पचंयत जसाना से अपीलाधीन पट्टा की जानकारी चाही तो उक्त अपीलाधीन पट्टा से सम्बधित कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत जसाना में उपलब्ध नही है। होने व उक्त अपीलाधीन पट्टा से ग्राम पंचायत जसाना द्वारा जारी नही होना बताया जिससे उक्त अपीलाधीन पट्टे की नकल अपीलार्थी को उपलब्ध नही हो सकी। उसके बाद अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी सं. 1 से पट्टा की प्रति दिलाये जाने पर प्रथम बार अपीलार्थी को अपीलाधीन पट्टा की जानकारी चाही परन्तु प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा मुझ अपीलार्थी के पक्ष में जारी पटटा सं. 2 व अपीलाधीन पट्टा बाबत अपील पेश हुई थी। इसलिए अपीलार्थी ने उस समय अपीलाधीन पट्टा बाबत अपना उज्र उक्त अपील मे दर्ज करवा दिये व नई अपील पेश की है इसलिए अनावेदक द्वारा हस्तगत अपील के धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन् 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील दर्ज की गई, पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट हेतु [illegible] पंचायत जसाना से पट्टा बाबत रिपोर्ट तलब की गई एवं मौका निरीक्षण [illegible] द्वारा विवादित भूखण्ड बाबत रिपोर्ट पेश की है एवं माननीय अधिनस्थ न्याया[illegible] द्वारा दिनांक 09.06.2022 को आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 09.08.1985 खारीज कर दिया। जिससे आवेदक प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है। जिससे आवेदन निर्णय दिनांक 09.06.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:57:46 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को निरस्त करवाने हेतु तथा आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 09.08.1985 को बहाल करवाने के लिए यह निगरानी निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है जो कि नियमानुसार स्वीकार योग्य है–

2. अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 09.06.2022 पारित करते समय गहन अवलोकन नहीं किया गया है तथा निर्णय विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज योग्य है।

3. मातहत अदालत ने मौका रिपोर्ट विवादित स्थल की प्राप्त करते समय आवेदक को सुनवाई व सबूत का अवसर नही दिया एवं कतई एक तरफा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करके राजनैतिक द्वेषता से वंशीभूत होकर निर्णय दिनांक 09.06.2022 को पारित किया है जो कि काबिल निरस्तनीय है।

4. मातहत अदालत ने अपना निर्णय दिनांक 09.06.2022 बिना किसी सही विश्लेषण व अनुशीलन के कतई मनमाना स्वेच्छाचारी नियम विरूद्व पारित किया गया है तथा अनावेदक सं. 1 की अपील अन्दर मियाद नही थी। तथा नियमानुसार मियाद के बिन्दु पर काबिल खारीजी के है फिर भी अपील स्वीकार कर आवेदन प्रार्थी का पट्टा खारिज कर कानूनी भूल कारित की है।

5. मातहत अदालत ने आवेदन को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अनदेखी की है तथा नोटिस की तामिल आवेदक पर नही हुई है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल खारिज है।

6. आवदेक के पक्ष में ग्राम पचंयात जसाना द्वारा दिनांक 09.08.1985 को पट्टा जारी किया गया है तथा आवेदक का पटटा की जगह पर चार दीवारी की हुई तथा जिसमें पानी का कनैक्शन की लगा हुआ है एवं आधे प्लॉट में भर्ती की हुई एवं जिसमें लकड़ी आदि डाल रखी है तथा आवेदक का करीबन 60–70 वर्षो से प्लाट पर काबिज है एवं मातहत अदालत द्वारा केवल राजनैतिक रूप से निर्णय पारित किया गया है, जो कि अपास्तनीय है।

7. ग्राम पंचायत जसाना द्वारा दिनांक 09.08.1985 को आवेदक के पट्टा के पक्ष में जारी किया गया है तथा उस समय काबिज 5–7 अन्य व्यक्तियों के भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये है एवं उपरोक्त पट्टे की समस्त पत्रावली ग्राम पंचायत जसाना के पंचायत रजिस्टर में दर्ज है तथा एवं आवेदक करीबन 60–70 वर्षो से प्लाट पर काबिज है फिर भी मातहत अदालत ने कोई जाँच ना कर आवेदक की सुनवाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:57:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

सम्पूर्ण अवसर ना देकर केवल राजनैतिक द्वेषता से वशीभूत होकर निर्णय पारित किया जा कि काबिल निरस्तनीय है।

8. अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट ने मातहत अदालत से पट्टा दिनांक 09.08.1985 की खारीज करने की अपील अन्दर मियाद नही थी करीब 40 साल बाद अपील प्रस्तुत की है तथा ना ही देरी को माफ करने का कोई उचित सन्तोषजनक कारण पेश किया था फिर मातहत अदालत अपील स्वीकार कर आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 09.08.1985 खारीज कर कानून के मान्य सिद्धानत की अवहेलना की है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल मन्सुखी है।

9. आवेदनक का उपरोक्त निर्णय दिनांक 09.06.2022 का ज्ञान था क्योंकि आवेदक मजदुरी करने हेतु सिरसा में ट्रेक्टर चलाता है तथा ग्राम पंचायत जसाना में नही रहता है तथा मातहत अदालत ने अपना निर्णय दिनांक 09.06.2022 से पूर्व कोई नोटिस अथवा सुचना भी नही दी तथा अब अनावेक ग्राम जसाना में आया तथा पता चला है कि पटटा दिनांक 09.08.1985 को मातहत अदालत ने निर्णय दिनांक 09.06.2022 को खारीज कर दिया गया है तब अनावेक ने मातहत अदालत ने अपना निर्णय दिनांक 09.06.2022 की नकल प्राप्त की और बिना किसी देरी के निगरानी आवेदक प्रस्तुत कर रहा है, जो कि ज्ञान के अभाव में ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा उक्त केस मेरिटोरियस है तथा फिर भी सुविधा की दृष्टि से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

10. निर्णय दिनांक 09.06.2022 बअदालत निर्णय की परिभाषा में नही आता है तथा उक्त निर्णय पारित करते समय मातहत अदालत ने अपना न्यायिक स्वविवेक का उपयोग नही किया गया है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

11. निगरानी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है एवं अन्दर मियाद पेश है।

अतः यह निगरानी आवेदक की तरफ से पेश कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर [illegible] मातहत निरस्त फरमाया जावे तथा पट्टा दिनांक 09.08.1985 बहक [illegible] बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:57:46 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीग[illegible] जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या –02 अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अप्रार्थी संख्या–03 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2022 निर्णय पारित कर दिनांक 09.08.1985 को ग्राम पंचायत जसाना द्वारा जारी पट्टा को खारिज किया गया है, के विरूद्ध पेश की गई है। दिनांक 09.08.1985 को ग्राम पंचायत जसाना द्वारा 30 X 45 साईज का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया। इस पट्टे विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील दायर की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तामिल के ही निर्णय पारित कर दिया गया । प्रार्थी को सुनवाई बाबत कोई अवसर ही नहीं दिया गया। विवादित पट्टाशुदा भूखण्ड प्रार्थी का कब्जाशुदा भूखण्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2022 को पट्टा खारिज किया जाना गलत है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी का पट्टा बहाल किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति में जैरकार अपील का भलीभांती ज्ञान था। प्रार्थी दो वर्ष 11 माह बाद की देरी से निगरानी पेश की गई, जो म्याद बाहर होनें के कारण खारिज योग्य है। विवादित पट्टे का ग्राम पंचायत जसाना के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। केवल भूखण्ड हड़पनें की नीयत से ही अपील पेश की गई है। निगरानी देरी से पेश करनें का कोई कारण नहीं बताया गया है। अतः निगरानी काबिले खारिज है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2022 को अपास्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:57:46 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दि[illegible]/1/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

30/1/26

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)